# BULANDSHAHR POLICE

## दिनांक 23 नवम्बर, 2024

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड व अन्य 06 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-**

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. यूसुफ पुत्र अब्दुल 2. सादिक पुत्र अब्दुल सलाम 3. मुवस्सरा पत्नी अब्दुल सलाम 4. शहाना पत्नी युनूस 5. यासीन पुत्र शुभराती 6. शहजाद पुत्र नासिर निवासीगण ग्राम एंचाना थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर व 7. आसिम उर्फ हासिम पुत्र ऐसी निवासी कुराना थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ द्वारा वर्ष- 2011 में थाना गुलावठी क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30.10.2011 को थाना गुलावठी पर मुअसं- 345/2011 धारा 363/366/496/420/467/468/471/376/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.01.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.11.2024 को न्यायाधीश श्री हरिकेश कुमार (मा0 न्यायालय एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा अभियुक्त युसूफ को 10 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा सादिक, मुवस्सरा, शहाना, यासीन, शहजाद व आसिम को 03-03 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सैल बुलन्दशहर।**